



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1413) पटना, सोमवार, 25 अगस्त 2025

भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त 2025

विषय:— भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के वर्ष 2012-13 से पूर्व के वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेखा अद्यतनीकरण एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

सं० जी०पी०एफ०-01-167/2024/4099—राज्य कर्मियों के भविष्य निधि लेखा का संधारण भविष्य निधि निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ सचिवालय भविष्य निधि कोषांग तथा 27 जिला भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक-01.04.1986 से प्रभावी है।

2. अंशदाताओं के शत-प्रतिशत लेखा अद्यतनीकरण करने एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का ससमय अंतिम निकासी सुनिश्चित करने हेतु निदेशालय निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में लेखा अद्यतनीकरण का कार्य पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वर्ष 2012-13 से CTMIS/CFMS प्रणाली के माध्यम से System Generated भविष्य निधि जमा/निकासी प्रतिवेदन को कोषागार अनुसूची की मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2012-13 से कोषागार के माध्यम से वेतन प्राप्त करने वाले सामान्य भविष्य निधि से आच्छादित अंशदाताओं का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से सत्यापित जमा/निकासी विवरणी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3. भविष्य निधि निदेशालय/जिला भविष्य निधि कार्यालयों में लंबित अंतिम निकासी के मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ मामलों में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के पूर्व (Manual Period) के मामलों में सत्यापित जमा/निकासी विवरणी उपलब्ध नहीं कराने के कारण लगभग 450 मामले अंतिम निष्पादन हेतु लंबित हैं। कई मामलों में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से वेतन भरपाई पंजी नष्ट हो चुका है, जिस कारण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित जमा/निकासी विवरणी तैयार करना संभव नहीं है। इस कारण ऐसे मामलों में अंशदाताओं के लेखा अद्यतनीकरण/अंतिम निकासी से संबंधित मामलों का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है तथा कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। उक्त के अतिरिक्त विलंब से भुगतान किये जाने पर अंशदाताओं को अद्यतन ब्याज देय हो जाता है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता है।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के वर्ष 2012-13 से पूर्व के वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेखा अद्यतनीकरण एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम् अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में लंबित मामलों के निष्पादन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- (क) वर्ष 2012-13 से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए भविष्य निधि में अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम् अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार संबंधित सत्यापित जमा/निकासी विवरणी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी।
- (ख) वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।
- (ग) उक्त अवधि में अंशदाता को दिये गये भविष्य निधि अग्रिम का सत्यापन अन्य कार्यालय अभिलेखों से करने के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित जमा/निकासी विवरणी पर अग्रिम प्रमाण-पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-19.08.2025 की बैठक के मद संख्या-04 में दी गई है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1413-571+10-डी0टी0पी0

Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>